उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या- 06/2021/सा०/578/का-4-2021-303/2020
लखनऊ:: दिनांक:: 07 जून, 2021

**<u>कार्यालय ज्ञाप</u>**

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के संबंध में कार्य की व्यवस्था ।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/527/सा0-का-4-2021-303/2020 दिनांक 09.04.2021, संख्या-02/2021/07/भा0स0/का-4-2021-303/2020 दिनांक 21.04.2021 तथा संख्या-03/2021/142/ संघ/का-4-2021-303/2020 दिनांक 28.04.2021 एवं 5/2021/संख्या-सा0/549/का-4-2021-303/2020 दिनांक 07.05.2021 द्वारा विभिन्न कार्यालयों में उपस्थित होकर तथा घर से कार्य संपादित करने के निर्देश दिये गये हैं । इन निर्देशों के क्रम में पुन: निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:-

1- शासनादेश संख्या-5/2021/संख्या-सा0/549/का-4-2021-303/2020 दिनांक 07.05.2021 में स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिकों के कार्यालय में उपस्थित रहने किन्तु एक समय में कार्मिकों की उपस्थिति स्वीकृति जनशक्ति 33 प्रतिशत तक होने एवं शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा घर से ही कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के स्थान पर अब यह व्यवस्था की जाती है कि स्वीकृति जनशक्ति के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य संपादित करेंगे।

2- शासनादेश संख्या-02/2021/07/भा0स0/का-4-2021-303/2020 दिनांक 21.04.2021 में उपसचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। अब यह व्यवस्था की जाती है कि अनुसचिव इससे उच्च स्तर के अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

3- उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शेष व्यवस्थायें यथावत पूर्ण रूप से लागू रहेगीं ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**राजेन्द्र कुमार तिवारी**
मुख्य सचिव

<u>संख्या-सामान्य/578/का-4-2021-303/2020**तददिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से
**मुकुल सिंहल**
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस प्रर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in